	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक *02,* शुक्रवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 24, 2025 Kartika 02, Friday, Saka 1947- October 24, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 24, 2025

संख्या प.5(2)सीओआई/सम/डीईएस/27:- भारत सरकार के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की संलग्न अधिसूचना का.आ. 4698(अ) दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 को राज्य सरकार सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रसारित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

भवानी सिंह देथा
प्रमुख शासन सचिव

STATISTICS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, October 24, 2025

No. P5(2)COI/Coord/DES/ 27:- The attached Notification of Registrar General and Census Commissioner, Home Ministry, New Delhi, India, S.O. 4698(E) dated 16 October, 2025 is being circulated by the state Government for general information.

By order of the Governor,

Bhawani Singh Detha,
Principal Secretary.

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4698 (अ).- केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व-परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है। भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व परीक्षण अर्थात् चयनित नमूना क्षेत्रों में मकानसूचीकरण और मकानों की गणना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 10 नवंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2025 संचालित किया जाएगा। तारीख 1 नवंबर, 2025 से तारीख 7 नंवबर, 2025 तक स्व-गणना के लिए भी विकल्प होगा।

[फा. सं. 9/8/2025-सीडी (सीइएन)]

मृत्युंजय कुमार नारायण,

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2025

S.O. 4698(E).-In exercise of the powers conferred by section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6D of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby extends the provisions of the said Act for conduct of pre-test of first phase of Census of India, 2027. The pre-test of first phase of Census of India. 2027 that is Houselisting and Housing Census in selected sample areas shall be conducted from 10th November, 2025 to 30th November, 2025 in all States and Union territories. There shall also be an option for self-enumeration from 1st November, 2025 to 7th November, 2025.

[F. No. 9/8/2025-CD(Cen)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN,

Registrar General and Census Commissioner, India

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।